संख्या-17/2019/303/46-1-19-1701/2017

प्रेषक,

कमल किशोर गुप्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त के अधिष्ठान के मानक मद-14- मोटर गाडियों का क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-136/वाहन-स्टोर, दिनांक 02-03-2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मारूति कम्पनी की अरटिगा स्मार्ट हाइब्रिड वी.एक्स.आई. (पेट्रोल) वाहन क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में चीनी आयुक्त का अधिष्ठान व्यय अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत मानक मद 14- मोटर गाडियों का क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू. 8.00 लाख के सापेक्ष रू. 7,17,958.00 (रूपये सात लाख सत्रह हजार नौ सौ अठठावन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रवृत्त नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत प्ररकण आदर्श आचार संहिता से बाधित नहीं है।

8- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-''2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-14-मोटर गाडियों के क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-216/दस-2019, दिनांक 25 मार्च, 2019 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-17/2019/303(1)/46-1-19-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र. इलाहाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है